

अदालत..... उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा..... मुकाम..... भादरा.....  
 नाम..... रामप्रताप..... बनाव..... सुनील आदि.....  
 क्रम मुकदमा..... 212 RTAct..... नं०..... 84/20.10.2018..... सन्..... 2018.....

|            |                                 |  |
|------------|---------------------------------|--|
| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुकम की तारीख जारी हुआ |
|------------|---------------------------------|--|

29-10-18

आज यह स्थगन प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी के द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सिंगेदार होने के बाद प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस एवं प्रस्तुत दरतावेज, शपथ पत्र से सन्तुष्ट होकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस अमर की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी 13.12.2018 तक जारी की जाती है कि रोही मौजा चक 2 डी.पी.एन. के मुख्या नम्बर 11 के किला नम्बर 20, 21 में वादभूमि में लगाई हुई भूमिगत पाईप लाइन को अप्रार्थीगण स्वयं या अपने आदमियों द्वारा क्षतिग्रस्त न करें और न ही प्रार्थी की पाईप लाइन द्वारा सिंचाई सुविधा में दखलन्दाजी उत्पन्न करें। इस संबंध में अप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज हो तो असालतन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 13.12.2018 को पेश हो।

*[Handwritten Signature]*

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)  
भादरा (जिला-हनुमानगढ)

12  
13/18

पत्रावली पेश हुई पीठासीन  
अधिकारी.....  
दिनांक 10-11-18 को पेश हो।

10-11-18

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अपीलकर्ता।  
तलबी हेतु नम्बर तलबाला पेश हो। पत्रावली  
वास्तु तलबी हेतु दिनांक 7-2-19 को पेश हो।

7/19

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अपीलकर्ता।  
स. 1 व 2 की शर्तों पर उजरी से वाए-वाए  
आवाज लगाई गई। वाए-वाए आवाज लगाई  
गई, कोई क्षति नहीं भंग, शर: अज्ञानी  
स. 1 व 2 की विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही  
अमर में जारी थी पत्रावली वास्तु  
अहस दिनांक 22-2-19 को पेश हो।



